

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16062023-246627
SG-DL-E-16062023-246627असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2023/ज्येष्ठ 26, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 94
No. 178]	DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2023/JYAISHTHA 26, 1945	[N. C. T. D. No. 94

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सेवाएं विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जून, 2023

फा. सं. 2(3)/आर.आर./2022/एस-IV/907.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा. 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2022 में संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

(1) संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- इन नियमों को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जायेगा।
- ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2022 की अनुसूची - II में टीप -VII के पश्चात निम्नलिखित टीप को जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“टीप – VIII जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष, इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जो ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके हैं।”

टीप— दिल्ली राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2022 दिनांक 24.05.2022 की अधिसूचना सं. फा. 2(17)/आर.आर./2010/एस –IV/780 द्वारा अधिसूचित की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से और उनके नाम पर,
अमिताभ जोशी, उप सचिव (सेवाएँ)

SERVICES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th June, 2023

No. F. 2(3)/RR/2022/S-IV/907.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.27/59-Him (i) dated the 13th July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with Union Public Service Commission, is pleased to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service Rules, 2022, namely: -

Short title and Amendment:

- (1). (i) These rules may be called the “Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service (Amendment) Rules, 2023.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (2). In Schedule-II of the Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service Rules, 2022, after Note VII, the following note shall be added, namely:-

“Note-VIII.- Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.”

Note: The Govt. of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service Rules, 2022 were notified vide notification no. F.2(17)/RR/2010/S-IV/780 dated 24.05.2022, published in the Delhi Gazette-Extraordinary.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

AMITABH JOSHI, Dy. Secy. (Services)